पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024
उनवान : हरीलाल बनाम ग्राम मनरुपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/250

प्रार्थी :–

हरीलाल पुत्र शंकरलाल जाति गर्ग निवासी सिंदरली तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मनरुपचंद पुत्र चतुर्भुजजी
2. ओमप्रकाश पुत्र चतुर्भुजजी
3. पुरुषोतम पुत्र चतुर्भुजजी जाति गर्ग निवासी सिंदरली तहसील देसूरी जिला पाली
4. गीता पुत्री चतुर्भुज पत्नी ओगडमल जाति गर्ग निवासी आना तहसील देसूरी जिला पाली
5. सुशीला पुत्री चतुर्भुज पत्नी हस्तीमल जाति गर्ग निवासी मेवी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
6. नन्दा पुत्री शंकरलाल पत्नी शंकरलाल जाति गर्ग निवासी डुंठारिया तहसील देसूरी जिला पाली
7. कनीया पुत्री शंकरलाल पत्नी भबुतजी जाति गर्ग निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली राज.
8. ग्राम पंचायत सिंदरली, जरिये सरपंच महोदय, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत सिंदरली दिनांक 19.11.1972 मिसल संख्या 69/72–73 के विरुद्ध पेश की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

RTO

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024
उनवान : हरीलाल बनाम ग्राम मनरुपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल गर्ग।
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली।

–:निर्णय:–

दिनांक: 30.05.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत सिंदरली दिनांक 19.11.1972 मिसल संख्या 69/72–73 के विरुद्ध विरुद्ध पेश की गई।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित व अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली उपस्थित हुए। ग्राम पंचायत से प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

1. प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका अनुसार प्रार्थी मूल रुप से ग्राम सिंदरली का मूल निवासी है एवं शंकरलालजी का पुत्र है। शंकरलालजी का एक पुश्तैनी आवासीय परिसर ग्राम सिंदरली की आबादी में आया हुआ है जिसके पडौस निम्न प्रकार है–

पूर्व में:– हिमताराम पुत्र रताराम गर्ग का मकान, भुजा 100 फीट
पश्चिम में:– नरींगजी दौलाजी के मकानात जो जर्जर अवस्था में है भुजा 100 फीट
उत्तर में:– आम रास्ता यह भुजा 22 फीट
दक्षिण में :– रानी जाने वाला रास्ता भुजा 41 फीट

उपरोक्त मकान में शंकरलाल जी का रहवास था प्रार्थी का जन्म भी इसी उपरोक्त मकान में हुआ है। शंकरलाल ने अपनी मृत्यु के समय चतुर्भूज, प्रार्थी हरीलाल, अप्रार्थी संख्या 6 नन्दा, अप्रार्थी संख्या 7 कनीया एवं धर्मपत्नी कंकू देवी को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान के रुप में छोडा था। शंकरलाल की पत्नी का स्वर्गवास वर्ष 2002 में हो चुका है चतुर्भुज का स्वर्गवास वर्ष 2016 में हुआ है जिन्होंने अपनी मृत्यु के समय धर्मपत्नी वरजु बाई को तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथमश्रेणी के वारिसान के रुप में छोडा है। श्रीमती वरजु बाई का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2021 को गांव सिंदरली में हो चुका है अप्रार्थी संख्या 01 से 05 हिन्दु है एवं विधि से शासित होते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024
उनवान : हरीलाल बनाम ग्राम मनरुपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

2. यह है कि शंकरलाल के स्वर्गवास के पश्चात उनकी धर्मपत्नी अधिकांश तौर पर प्रार्थी के साथ निवास करती थी। प्रार्थी सरकारी नौकरी में वर्ष 1965 में लग गया था तथा सम्पूर्ण कार्यकाल जालोर जिले में विभिन्न पदो पर रहकर पूर्ण किया एवं सेवानिवृत वर्ष 2002 से दिनांक 31.08.2002 में अतिरिक्त जिला कलक्टर में रीडर के पद से सेवानिवृत हुए थे।
3. यह कि प्रार्थी नौकरी में रहने के दौरान भी समय समय पर अपनी माता की सेवा चाकरी करने एवं सामाजिक कार्यो में उपस्थिति देने हेतु उपस्थित होता रहा तथा चतुर्भूज की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उन्हें हर समय से आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया।
4. यह कि पूर्वी हिस्से में आम रास्ते के तरफ दक्षिणी रास्ते पर एक पुराना कमरा बना हुआ था। एक ओसरी जिसका दरवाजा चौक में खुलता था तथा एक पोल बनी हुई थी, दक्षिणी रास्ते पर बने कमरे व ओसरी में प्रार्थी का निवास था तथा चौक में बनी ओसरी में व पोल में चतुर्भूर्जजी अपने परिवार सहित निवास करते थे। प्रार्थी द्वारा अपनी बहन नन्दा व कनीया का विवाह भी इसी परिसर में सम्पन्न करवाया एवं मरम्मत का कार्य भी प्रार्थी ने किया।
5. यह कि वर्ष 1972 में भी चतुभुर्जजी एवं प्रार्थी की माता द्वारा प्रार्थी से कहा गया कि उपरोक्त मकान का पट्टा बना हुआ नहीं है भविष्य में विवाद न हो इस कारण तुम अपना पट्टा बनवा दो जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 30.07.1972 को विधिवत रुप से परिसर का पट्टा बनाने के लिए प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिन्दरली के सरपंच के समक्ष पेश किया। पत्रावली संख्या 64/1972–73 प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने का आदेश भी दिया गया था प्रार्थी सरकारी नौकरी में होने से उसे अवकाश मुश्किल से मिल पाता था इस कारण प्रार्थी के भाई चतुर्भूज ने यह आश्वासन दिया था कि ग्राम पंचायत से पट्टा वह प्राप्त कर लेगा तुम्हे आने की आवश्यकता नहीं है जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी पर विश्वास करता रहा।
6. यह कि प्रार्थी व चतुर्भूज ने आपस में विभाजन कर पूर्व तरफ का हिस्सा प्रार्थी को एवं पश्चिम तरफ का हिस्सा स्वयं ने रखना तय किया प्रार्थी द्वारा जब अपने हिस्से में मकान बनाने की इच्छा प्रकट की तो चतुर्भूज ने कहा की मैं बडा भाई हूं। मेरे पुरुष संतान अभी तक कुंवारे है इस कारण पहले मेरा मकान व्यवस्थित बन जाये तो उसके पश्चात तुम अपना मकान बनवाना जिस पर चतुर्भूज ने उत्तर की तरफ चल रहे रास्ते की तरफ कालान्तर में दक्षिणी रास्ते पर दो दुकाने निर्मित करवाई तथा दुकानों व रहवासी मकान के बीच में खाली भूमि स्वयं के उपयोग के लिये छोडी है।
7. यह कि चतूर्भूज का मकान पुरा व्यवस्थित बनने के बाद करीब चार वर्ष बाद पूर्वी हिस्से में प्रार्थी ने मकान का निर्माण करवाया उस समय ग्राम पंचायत या चतुर्भूज ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

अथवा किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थी द्वारा अपने मकान में बिजली पानी के कनेक्शन स्वयं के नाम से ले रखे है नवनिर्मित मकान में प्रार्थी ने मकान बनाकर उसमें गृहप्रवेश किया उसमें चतुभूर्जजी व उनका पुरा परिवार सम्मिलित हुआ जिसके फोटोग्राफ आज भी मौजुद है। नवनिर्मित मकान में ही प्रार्थी की दो पुत्रियों का विवाह सुगीया का विवाह वर्ष 1994 में व दुर्गा का विवाह वर्ष 2003 में सम्पन किये उस समय चतुर्भुज पुरे विवाह में सम्मिलित हुये। प्रार्थी की माता का स्वर्गवास होने पर गांव के बाहर परिसर पर उनका सारा क्रियाक्रम किया गया। चतुर्भूज के मृत्यु पर व उनके पुत्र पुत्रियों के विवाह में प्रार्थी ने पूरा सहयोग किया व उपस्थिति दर्शाई थी।

8. यह कि गांव से बाहर जो बाडा बना हुआ है उसमें पूर्वी हिस्सा प्रार्थी के कब्जे में आया हुआ है एवं पश्चिमी हिस्सा चतुर्भूज के पुत्र ओमप्रकाश, मनरुप, पुरुषोत्तम ने मकान बना दिये तथा दरवाजे खोल दिए। प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर कहा की आप जब भी मकान बनाओगे तब बन्द कर देंगे।

9. यह कि चतुर्भूज की पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2021 को हो चुका है उससे पहले ही प्रार्थी गांव सिंदरली गया हुआ था। जब दाह संस्कार के समय प्रार्थी चतुर्भूज के घर पहूंचा तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने उन्हें अपामानित किया व कहा कि आपका व मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके बावजुद भी प्रार्थी अपने रहवासीय मकान में अपनी धर्मपत्नी सहित काफी रोज तक रुके प्रार्थी के मिलने वाले उसे मिलने आये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थी को सामाजिक कार्य में उपस्थित होने से मना कर दिया। जब प्रार्थी ने बाहर वाले नोहरे में मकान बनाने की इच्छा प्रकट की तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लगे।

10. यह कि दिनांक 02.12.2021 को जब चतुर्भूज की धर्मपत्नी के बारहवें का कार्य सम्पन्न हो गया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी की तुम नौकरी करते रहे एवं मकान पर पैसे ही खर्च करते परन्तु हमने ग्राम पंचायत से मिलावट कर आपके निर्मित मकान सहित पट्टा पहले ही बना दिया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.12.2021 को ग्राम पंचायत से नकल हेतु आवेदन किया एवं मिसल का निरीक्षण किया तो पता चला की जो प्रार्थी द्वारा पत्रावली पेश की गई थी, उसमें उसका नाम काट कर उसके स्थान पूर चतुर्भूज का नाम लिखा गया जबकि आदेशिका में हरीलाल द्वारा प्रस्तुत करने का स्पष्ट उल्लेख है। दिनांक 04.09.1972 को प्रार्थी के नाम वादग्रस्त परिसर का विक्रय पत्र जारी करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था परन्तु जब प्रार्थी को पट्टे की नकल प्राप्त हुई तो पता चला की ग्राम पंचायत से फर्जी तौर पर मिलावट कर चतुर्भज के नाम पत्रावली 69 गलत तौर पर दर्ज की गयी जिसकी आदेशिका में किसी भी तिथि का हवाला नहीं है, मौका रिपोर्ट में सारे कॉलम शून्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024
उनवान : हरीलाल बनाम ग्राम मनरूपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्व. चतुर्भूज के पक्ष में जारी किया गया पट्टा दिनांक 19.11.1972 को निरस्त फरमाया जावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त मकान पुश्तैनी मकान नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 5 के पिता चतुर्भुजजी का कब्जाशुदा मकान था व उसमें चतुर्भूजजी का परिवार ही निवास करता आ रहा है व प्रार्थी का इस मकान से कोई लेना देना नहीं है व न ही प्रार्थी का उक्त मकान में कब्जा रहा है। प्रार्थी स्थाई रुप से जालोर रह रहा है करीब 65 वर्षो से सिन्दरली में नहीं रह रहा है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास उसके बाल्यकाल में ही हो गया था व प्रार्थी की पढ़ाई लिखाई भी अप्रार्थी के पिता चतूर्भूज के द्वारा कराई गई व सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय जालोर में रीडर के पद पर नियुक्त रहा। प्रार्थी को कानूनी ज्ञान होने से व अप्रार्थीगण के पिता चतुर्भूर्जजी अनपढ होने से प्रार्थी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य मकान के पट्टे में भी कूटरचना करके 1/2 हिस्से में अपना नाम डलवा दिया। अप्रार्थी के पिता मुश्किल से अपने हस्ताक्षर करना जानते थे व सारे दस्तावेज प्रार्थी ने अपने कब्जे मे कर लिए है। यह भी कि प्रकरण की पत्रावली के पट्टे के लिए प्रार्थी की तरफ से कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया न ही प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने के आदेश हुए। इस प्रकरण के पट्टे के लिए अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व नियमानुसार अप्रार्थीगण के पिता का पट्टा जारी किया गया है। यह कि उक्त मकान का पट्टा विधिवत कार्यवाही की जाकर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में विधिवत जारी किया गया है। किसी भी तरह से आदेशात्मक नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के पिता के नाम जारी पट्टा निरस्त होने योग्य नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका निरस्त की जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वक्त बहस काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि ज़ेर निगरानी आलोच्य पट्टे की भूमि प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण एक लगायत पांच के दादा स्व. श्री शंकरलाल गर्ग की पुश्तैनी सम्पति है। इस आधार पर उक्त भूमि में स्व. श्री शंकरलाल का पुत्र होने के नाते प्रार्थी का भी हक हकूक निहित है। किन्तु प्रार्थी के भाई एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत पांच के पिता स्व. चतुर्भूज द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी का पट्टा स्वयं अकेले के पक्ष में निष्पादित करवाया गया, जो कि विधि विरुद्ध होने से मिसल संख्या 69/72–73 में जारी उक्त पट्टा दिनांक 19.11.1972 को निरस्त किया जाए। यह भी, कि प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पति में अपने हिस्से की भूमि का पट्टा बनवाने हेतु एक आवेदन ग्राम पंचायत सिंदरली में दिनांक 30.07.1972 को प्रस्तुत किया था, जिस पर मिसल संख्या 64/1972–73 कायम कर दिनांक 04.09.1972 को प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश भी पारित किया गया। किन्तु स्व. चतुर्भूज द्वारा उक्त मिसल 64/1972–73 में कूटरचित ढंग से कांट–छांट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर हरिलाल के स्थान पर चतुर्भुज नाम अंकित करवाया जाकर तथा एक पृथक मिसल 69/72–73 कायम करवाते हुए सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि का अकेले स्वयं के नाम जैर निगरानी आलोच्य पट्टा जारी करवा दिया गया, जो कि काबिल खारिज है।

यह भी, कि मिसल संख्या 69/72–73 में कहीं भी दिनांक अंकित नहीं है एवं किसी भी आज्ञा पर सरपंच अथवा ग्राम सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध है। अतः ज़ैर निगरानी निगरानी आलोच्य पट्टे को निरस्त किया जाए।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj) 1955 Dhanraj vs. Additional Collector (page 458-59) प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत सम्पति पुश्तैनी सम्पति न होकर स्व. चतुर्भुज की सम्पति थी। प्रार्थीपक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका यह तर्क सिद्ध हो सके कि सम्पति पुश्तैनी थी एवं पूर्व में उक्त का बंटवारा हो रखा है। स्वर्गीय चतुर्भुज की सम्पति पर स्वयं उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर ही उनके पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। यह भी, कि प्रार्थी द्वारा जिस मिसल संख्या 64/1972–73 का कथन किया है, उसमें कोई और पट्टा जारी हुआ होगा। अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय चतुर्भूज को मिसल संख्या 69/72–73 में पट्टा जारी हुआ है, जिसे काल्पनिक आधारों पर प्रार्थी द्वारा चुनौति देते हुए सारहीन निगरानी प्रस्तुत की है, जिसे खारिज किया जाए।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने प्रत्युतर में अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया कि एक अन्य सम्पति के संबंध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश, देसूरी में प्रस्तुत वादपत्र के जवाबदावें में पैरा संख्या चार में स्वयं अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है कि प्रश्नगत जैर निगरानी भूमि पुश्तैनी भूमि है। प्रमाणस्वरुप जवाबदावे की प्रमाणित प्रतियां शामिल मिसल हैं।

हस्तगत निगरानी के संबंध में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा निगरानी के संलग्न दस्तावेजों तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मिसल संख्या 69/72–73 के मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया।

सर्वप्रथम, प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा सम्बद्ध व्यक्तियों के शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये है, जो उनके इस तर्क की पुष्टि कर सके कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से संबंधित भूमि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय शंकरलाल की पुश्तैनी भूमि थी तथा जिसका पूर्व में बंटवारा हो चुका है। प्रार्थी ने यह तर्क दिया है कि न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी में अन्य सम्पति के संबंध में लम्बित वाद में अप्रार्थीगण ने जवाबदावें में इस भूमि को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पुश्तैनी भूमि होना तथा बंटवारे के कथन को स्वीकार किया है। इस संबंध में मेरा यह विनम्र अभिमत है कि आबादी भूमि के बंटवारे का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है एवं सिविल न्यायालय में लम्बित किसी वाद में प्रस्तुत जवाबपत्र के आधार इस न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं है। उक्त जवाबपत्र में अंकित कथनों की प्रमाणिकता साक्ष्य एवं बयान इत्यादि के आधार पर सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। अप्रार्थीपक्ष भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है, जो उनके इस तर्क की पुष्टि कर सके कि प्रश्नगत सम्पति पट्टाधारी स्व. चतुर्भुज की निजी स्वामित्व की ही भूमि थी, न कि पुश्तैनी भूमि।

अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ज़ैर निगरानी भूखण्ड के पुश्तैनी सम्पति होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।

द्वितीयतः प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में अपने हिस्से की भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत में दिनांक 30.07.1972 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मिसल संख्या 64/1972–73 कायम करते हुए दिनांक 04.09.1972 को प्रार्थी के पक्ष में पट्टा बनाने के आदेश भी पारित हुए थे। किन्तु अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्क की पुष्टि हेतु तथाकथित मिसल संख्या 64/1972–73 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थी का उपरोक्त तर्क भी दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकार किया जाता है।

तृतीयतः प्रार्थी द्वारा मिसल संख्या 69/72–73 तथा ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे के संबंध में निगरानी पत्र में प्रक्रियात्मक त्रुटियों को इंगित किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मिसल संख्या 69/72–73 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

(i) जैर निगरानी पट्टा मिसल संख्या 69/72–73 में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत श्री चतुर्भुज पुत्र श्री शंकरजी गर्ग के पक्ष में दिनांक 19.11.1972 को जारी किया गया। उक्त भूमि विक्रय विलेख पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 30.04.1972 के अनुसरण में निष्पादित होना अंकित है।

किन्तु ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा प्रेषित पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 26.07.1971 से 15.06.1972 में दिनांक 30.04.1972 को किसी प्रकार की कोई बैठक होना अंकित ही नहीं हैं। अतः आलोच्य पट्टे में पंचायत बैठक संकल्प संख्या 1 दिनांक 30.04.1972 का अंकन आधारहीन एवं काल्पनिक होना तथा बिना किसी वैध पंचायत प्रस्ताव के ही उक्त पट्टा जारी होना पाया जाता है।

(ii) तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 258 के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का तीन पंचों द्वारा निरीक्षण तथा नियम 260 के अन्तर्गत एक माह की अवधि हेतु आपत्ति ईश्तिहार जारी करने के आज्ञापक (Mandatory) प्रावधान थे। किन्तु मिसल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024
उनवान : हरीलाल बनाम ग्राम मनरुपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या 69/72–73 का ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड में भूमि निरीक्षण प्रपत्र तथा प्रारुप 50 में आपत्ति ईश्तिहार जारी होना नहीं पाया गया। उक्त दोनो प्रपत्र मिसल में रिक्त (blank) और अहस्ताक्षरित ही सलंग्न है। स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम 1961 के नियम 258 एवं 260 के आज्ञापक प्रावधानों की हस्तगत प्रकरण में पालना नहीं की गई है।

(iii) मिसल 69/72–73 की आदेशिकाओं में न तो दिनांक अंकित है और न ही किसी आदेशिका एंव आज्ञा पर तत्कालीन सरपंच अथवा सचिव के हस्ताक्षर ही अंकित है। किसी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक के अभाव में ऐसा कोई भी आदेश अथवा आज्ञा विधि की दृष्टि में शून्य है।

(iv) मिसल के साथ सलंग्न आलोच्य भूमि विक्रय विलेख की मूल कार्यालय प्रति में भूखण्ड के माप का भी विरोधाभासी अंकन है। उक्त विक्रय विलेख के प्रतिपृष्ट पर भूखण्ड का माप लाल स्याही से 3335 वर्गफीट व 370 वर्गगज अंकित है, किन्तु सरपंच के हस्ताक्षर से ठीक उपर नीली स्याही से उक्त भूखण्ड का माप 175 वर्गगज अंकित किया गया है। भूमि निरीक्षण प्रपत्र के अभाव में भूखण्ड का माप किस आधार पर अंकित किया गया तथा दो अलग–अलग माप अंकित होने का क्या कारण है, उक्त प्रश्नों का कोई स्पष्ट प्रत्युतर प्रस्तुत करने में अप्रार्थीपक्ष असफल रहे है।

(v) मिसल संख्या 69/72–73 के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि स्व. चतुर्भूज का पट्टा बनाने हेतु कोई भी आवेदन मिसल में सलंग्न नहीं है और न ही ज़ैर निगरानी पट्टे पर पट्टा नम्बर तथा पट्टा बुक संख्या अंकित है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है हो जाता है कि स्व. चतुर्भुज पुत्र श्री शंकरजी गर्ग के पक्ष में दिनांक 19.11.1972 को निष्पादित आलोच्य भूमि विक्रय विलेख (मिसल संख्या 69/72–73) के सम्बंध में तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के अध्याय 13 में अंकित सम्बन्धित आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।

साथ ही, चूंकि प्रार्थी ने प्रश्नगत भूखण्ड को स्वयं के कब्जाशुदा भूखण्ड होने का कथन करते हुए प्रमाण स्वरुप विद्युत बिल एवं जल कनेक्शन रसीद इत्यादि प्रस्तुत की है तथा अप्रार्थीपक्ष भी उपरोक्त के खण्डन निमित्त कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, अतः प्रार्थी को 'हितबद्ध व्यक्ति' या प्रभावित पक्षकार माना जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा मिसल संख्या 69/72–73 में दिनांक 19.11.1972 को चतुर्भूज पुत्र श्री शंकर जी गर्ग के पक्ष में निष्पादित पट्टे में अंकित चतुर्दशी वाले भूमि विक्रय विलेख को प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने के आधार पर खारिज किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 221/2024

उनवान : हरीलाल बनाम ग्राम मनरुपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत सिन्दरली को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में दोनो पक्षों को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानान्तर्गत विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिन्दरली को यह भी निर्देश दिए जाते है कि मिसल संख्या 69/72–73 में सलंग्न उक्त पट्टे की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में 'निरस्त' अंकन करना सुनिश्चित करें। विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी तदनुरुप पालना करवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

दिनांक

क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि :– निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति, देसूरी।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिन्दरली पंचायत समिति देसूरी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner